फाइल नं0-71-3002(002)/20/2023-03

9/2024/I/478530/2024

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
चन्दौली, औरैया, गोण्डा, सोनभद्र, कानपुर देहात,
ललितपुर, पीलीभीत, बुलन्दशहर तथा कौशाम्बी।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में फेज-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चन्दौली, औरैया, गोण्डा, सोनभद्र, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, बुलन्दशहर तथा कौशाम्बी में विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-778/वाह्य0वि0संयो0/2023, दिनांक 26.10.2023, पत्र संख्या-781/वाह्य0वि0संयो0/2023, दिनांक 26.10.2023, पत्र संख्या-777/वाह्य0वि0संयो0/2023, दिनांक 26.10.2023, पत्र संख्या-782/वाह्य0वि0संयो0/2023, दिनांक 26.10.2023, पत्र संख्या-780/वाह्य0वि0संयो0/2023, दिनांक 26.10.2023, पत्र संख्या-785/वाह्य0वि0संयो0/तकनीकी सेल/2023, दिनांक 27.10.2023, पत्र संख्या-784/वाह्य0वि0संयो0/2023, दिनांक 27.10.2023, पत्र संख्या-787/वाह्य0वि0संयो0/2023, दिनांक 27.10.2023 तथा पत्र संख्या-786/वाह्य0वि0संयो0/2023, दिनांक 27.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है फेज-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चन्दौली, औरैया, गोण्डा, सोनभद्र, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, बुलन्दशहर तथा कौशाम्बी में विद्युत संयोजन हेतु प्रशासकीय स्वीकृति (निम्नांकित तालिका के कॉलम-3 के अनुसार) तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-24- वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि (निम्नांकित तालिका के कॉलम-4 के अनुसार) में से प्रथम किश्त की धनराशि (निम्नांकित तालिका के कॉलम-6 के अनुसार) निम्न विवरणानुसार अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0	मेडिकल कालेज नाम	विद्युत संयोजन हेतु प्रशासकीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	मेडिकल कालेज, चन्दौली	10.9497	11.4673	4210-03-105-8915	5.4748
2.	मेडिकल कालेज, औरैया	8.3827	3.1113	4210-03-105-8919	3.1113
3.	मेडिकल कालेज, गोण्डा	14.4085	11.4106	4210-03-105-8912	7.2042

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4.	मेडिकल कालेज, सोनभद्र	3.0930	12.5850	4210-03-105-8917	3.0930
5.	मेडिकल कालेज, कानपुर देहात	6.3700	3.9295	4210-03-105-8920	3.1850
6.	मेडिकल कालेज, ललितपुर	3.7400	11.7125	4210-03-105-8913	3.7400
7.	मेडिकल कालेज, पीलीभीत	14.4570	12.3466	4210-03-105-8918	7.2285
8.	मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर	4.1000	14.5917	4210-03-105-8916	4.1000
9.	मेडिकल कालेज, कौशाम्बी	4.8647	11.5265	4210-03-105-8921	4.8647

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. फेज-3 के अन्तर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, यथाचन्दौली-, औरैया, गोण्डा, सोनभद्र, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, बुलन्दशहर तथा कौशाम्बी के निर्माण कार्य हेतु पूर्व में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु स्वीकृत धनराशि को समर्पित कर दिया जाये।
2. सुसंगत नियमों एवं प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रकिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य एवं आडिट कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/चिकित्सा संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
7. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्यो/कार्यदायी संस्था की होगी।
8. संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
9. संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
10. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला

लेखाशीर्ष: 4210031058912 (मेडिकल कालेज, गोण्डा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	4210031058912 मेडिकल कालेज, गोण्डा	24 वृहत् निर्माण कार्य	7,20,42,000 (रुपये सात करोड़ बीस लाख बयालीस हजार मात्र)
	कुल			**7,20,42,000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

				(रुपये सात करोड़ बीस लाख बयालीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 4210031058913 (मेडिकल कालेज, ललितपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058913 मेडिकल कालेज, ललितपुर	24 वृहत् निर्माण कार्य	3,74,00,000 (रुपये तीन करोड़ चौहत्तर लाख मात्र)
	कुल			**3,74,00,000** **(रुपये तीन करोड़ चौहत्तर लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058915 (मेडिकल कालेज, चन्दौली)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058915 मेडिकल कालेज, चन्दौली	24 वृहत् निर्माण कार्य	5,47,48,000 (रुपये पांच करोड़ सैंतालीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)
	कुल			**5,47,48,000** **(रुपये पांच करोड़ सैंतालीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058916 (मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058916 मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर	24 वृहत् निर्माण कार्य	4,10,00,000 (रुपये चार करोड़ दस लाख मात्र)
	कुल			**4,10,00,000** **(रुपये चार करोड़ दस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058917 (मेडिकल कालेज, सोनभद्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058917 मेडिकल कालेज, सोनभद्र	24 वृहत् निर्माण कार्य	3,09,30,000 (रुपये तीन करोड़ नौ लाख तीस हजार मात्र)
	कुल			**3,09,30,000** **(रुपये तीन करोड़ नौ लाख तीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058918 (मेडिकल कालेज, पीलीभीत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058918 मेडिकल कालेज, पीलीभीत	24 वृहत् निर्माण कार्य	7,22,85,000 (रुपये सात करोड़ बाईस लाख पचासी हजार मात्र)
	कुल			**7,22,85,000** **(रुपये सात करोड़ बाईस लाख पचासी हजार मात्र)**

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखाशीर्ष: 4210031058919 (मेडिकल कालेज, औरैया)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	4210031058919 मेडिकल कालेज, औरैया	24 वृहत् निर्माण कार्य	3,11,13,000 (रुपये तीन करोड़ ग्यारह लाख तेरह हजार मात्र)
	कुल			**3,11,13,000 (रुपये तीन करोड़ ग्यारह लाख तेरह हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058920 (मेडिकल कालेज, कानपुर देहात)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	4210031058920 मेडिकल कालेज, कानपुर देहात	24 वृहत् निर्माण कार्य	3,18,50,000 (रुपये तीन करोड़ अठारह लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**3,18,50,000 (रुपये तीन करोड़ अठारह लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058921 (मेडिकल कालेज, कौशाम्बी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	4210031058921 मेडिकल कालेज, कौशाम्बी	24 वृहत् निर्माण कार्य	4,86,47,000 (रुपये चार करोड़ छियासी लाख सैंतालीस हजार मात्र)
	कुल			**4,86,47,000 (रुपये चार करोड़ छियासी लाख सैंतालीस हजार मात्र)**

महायोग	42,00,15,000 (रुपये बयालीस करोड़ पंद्रह हजार मात्र)

नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-272/दस-2023-24, दिनांक 02 जनवरी, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या:-उपरोक्त, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, चन्दौली, औरैया, गोण्डा, सोनभद्र, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, बुलन्दशहर तथा कौशाम्बी।
6. मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
7. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, चन्दौली, औरैया, गोण्डा, सोनभद्र, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, बुलन्दशहर तथा कौशाम्बी।
12. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
13. कोषाधिकारी, चन्दौली, औरैया, गोण्डा, सोनभद्र, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, बुलन्दशहर तथा कौशाम्बी।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।